बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- ____________________ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:-____________________

ग्रा०वि०-12(मं0)- 12/2010

प्रेषक,

राधा किशोर झा, भा.प्र.से.,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में "बजट शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद-0001-मंत्रिगण" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्र संख्या 298 दिनांक 07.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष "बजट शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रिगण" के अंतर्गत '1304-विद्युत प्रभार' इकाई में विभाग को प्राप्त ₹ 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं एम-4-09/2014-3244/वि. दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

4) आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

6) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

7) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

8) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

9) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

10) इसकी मांग संख्या 04 एवं विपत्र कोड संख्या 04-2013008000001 है ।

11) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 416658 ग्रा०वि०वि०, पटना, दिनांक:- 13.03.19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव